

विचार बिन्दु

अवसर तो सभी को ज़िंदगी में मिलते हैं किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीक़े से इस्तेमाल कितने कर पाते हैं?

—संतोष गोयल

हमारे पंच परमेश्वर कितने परमेश्वर हैं?

लोकतंत्र की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय उसका अधिकार है। विवाद प्रत्येक स्तर पर होते रहते हैं और होते रहेंगे। व्यक्ति अकेला नहीं जीता, समूह में जीता है। विवाह की एक संस्था के कारण एक से दो होते हैं और फिर परिवार बनता है। इस समूह का विस्तार होकर वह समूचे विश्व व समूचे ब्रह्मांड तक पहुँचता है। निश्चय ही समस्त जीव जगत ही नहीं निर्जीव जगत से भी मानव को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बिटाने हेतु उसके पांच मूलभूत तत्वों के साथ समायोजन न होने पर प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है और उसके कारण हो रही प्राकृतिक आपदायें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व स्तरीय संस्थाएं भी बनानी पड़ी हैं। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक स्तर पर विवाद हेतु मानव ने न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया है। हमारे देश में भी इन्हीं विवादों को निपटाने हेतु प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक संस्थाएं हैं जिन्हें हम क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा देते हैं। पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक ढांचा है। विधायिका के अन्तर्गत राज्य में विधानसभाएँ व केन्द्रीय स्तर पर संसद है। एक और संस्था पंचायत से लेकर पंचायत राज्य मंत्री तक जाती है। स्वायत्त शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका व विकास प्रत्यास अथवा विकास ऑथोरिटी आ जाते हैं। जो इकाइयाँ निर्वाचन से बनती हैं वे विधायिका की तरह काम करती हैं और जहाँ निर्वाचन नहीं होते वे प्रशासनिक इकाइयों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों का नीचे के स्तर पर जो अन्तर्संबंध है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इनमें अन्तर्संबंध न होने पर किसी भी एक के निरंकुश होने की संभावना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। उच्चतम न्यायालय के मृत्युदंड के निर्णय पर भी राष्ट्रपति निर्णय देता है। कार्यपालिका के निर्णय की अपील न्यायपालिका में की जाती है। संसद के निर्णय की संवैधानिक समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

यह संपूर्ण भूमिका इसलिये है कि सभी स्तरों का निर्णय तथा उनकी अपील व समीक्षा हेतु इकाइयों का प्रावधान है जो निर्णय करती हैं। लेखक की यह मान्यता है कि जहाँ कहीं बिना निर्वाचन के जो तंत्र बना है और उसके जिस भी स्तर पर निर्णय दिया जाता है वह व्यक्ति व समूह उस स्तर पर पंच-सरपंच का कार्य कर रहा है। निर्णयकर्ता जो भी पंच-सरपंच हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईश्वर के नाम पर तथा संविधान के अन्तर्गत न्याय करें। विधायिका में भ्रष्ट लोग आ जाते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत निर्णय देते हैं, दलीय आधार पर निर्णय करते हैं। प्रशासनिक तंत्र भी भोरे भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और निष्पक्ष नहीं रह पाता। अन्ततोगत्वा न्यायपालिका ही आशा की किरण बनती है। इस दृष्टि से हाल ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा ज़ोरों पर है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का उल्लेख है। इस तथाकथित पत्र

सोशल मीडिया को भी ग़ैर ज़िम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये।

है कि फैसले तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी राजस्व और कुछ फ़ौजदारी मामलों के दिये जाते हैं और लम्बे-लम्बे निर्णय लिखाने भी पड़ते हैं। न्यायपालिका पर भार अधिक है तो शनिवार की छुट्टियों को भी काम किया जा सकता है। निश्चय ही जनहित में यह निर्णय लिया जा सकता है। शनिवार-रविवार का अवकाश अंग्रेज़ों के समय का तरीका रहा है और यह प्रयोग भारत के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सफल नहीं रहा है। लोगों में पुरानी 1० से 5 की आदत पड़ी हुई है। न्यायालय में गर्मी को छुट्टियों की निश्चय ही कोई तुक नहीं है। न्याय तो ३65 दिन व 24 घंटे करना होता है। राजधर्म में राजा को न्याय हेतु सर्वेव उपलब्ध रहना होता है। अपराध करने वाले तो छुट्टियों का नाजायज लाभ उठाते हैं और इन दिनों कई अपराध बढ़ते हैं। कई बार रात्रि में भी सुनवाई की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु सीमा अधिक है और राज्यकोष से सभी सुविधाएँ यथा कार, बंगला, सुरक्षा, भरपूर वेतन तथा केबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिश्रम की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। रविवार की ओर आवश्यक अवकाशों के अलावा ३०0 दिन कार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ३६5 दिन काम करते हैं और न्यायालय काफी कम दिन ही कार्य कर पाता है। जनहित याचिकाओं को प्रथम दृष्टया अनावश्यक पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिये और महत्वहीन जनहित याचिकाओं को निरुत्साहित करना आवश्यक है। कई बार महत्वहीन छोटी-छोटी बातों पर की गई याचिकाओं पर समय व्यर्थ चला जाता है। कई बार 2, ३, 5 जजों की बेंच बनती है, इसमें औचित्यपूर्ण कमी की जा सकती है।

न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें अन्य कई कारण भी हैं। वकीलों द्वारा पेशी बदलवाते रहना, जज द्वारा उसकी स्वीकृति देते रहना, पक्ष-विरक्ष को विनम्र कराने की प्रवृत्ति, जज का अवकाश में होना, शौक सभा व अन्य अवसरों पर सुनवाई रोक देना आदि भी कारण बनते हैं। न्यायपालिका का अंग्रेज़ों जला पाेटर्न बदलना चाहिये। वकील, सरकार व जज बैठ कर हमारी न्याय संहिताओं को अधिक व्यावहारिक बनायें तो उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट तक साधारण, सामान्य निर्धन व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता वह अत्यधिक व्यय-साध्य है, इस पर भी विचार होना चाहिये।

न्यायालय बेतहाशा बढ़े हैं परंतु न्यायालयों और जज की मांग निरंतर बढ़ती जाती है। इस देश की परिस्थितियों में लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को अधिक ईमानदारी व परिश्रम से काम करना होगा, तभी समस्याएँ सुलझेंगी। सोशल मीडिया द्वारा उठाये गये बिंदु कितने सही व सार्थक हैं इन पर जन साधारण विचार करेगा ही, परंतु इतना तो सही है कि न्यायपालिका की कई कार्रवाइयों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है तभी पंच परमेश्वर बन सकेंगे।

कार्यपालिका में नौकरशाही की खुलकर आलोचना होती ही रहती है। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के उदाहरण भी सामने आते ही रहते हैं। उन पर कार्यवाई भी होती है, परंतु वह अभी प्रभावी नहीं हो पाई है। लोगों में यह अवधारणा है कि बिना रिश्तत के अथवा बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता। अपवादों की चर्चा तो सामान्यतः होती ही नहीं जो स्वाभाविक है। इसी प्रकार राजनेताओं के भ्रष्टाचारों की भी खूब चर्चा होती है। उनमें कई दंगी, अपराधी हैं, यह भी सच है। उनमें दल बदलने की प्रवृत्ति अधिक है। उनका कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं हैं, मात्र स्वार्थ ही प्रधान होता है, सेवा भावना नहीं। मीडिया में झूठी व फर्जी खबरें फैलाई जाती है। सोशल मीडिया को भी ग़ैर ज़िम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये। केन्द्रीय कानून मंत्री ने भी एक सुझाव दिया था कि जजों के चयन में वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। जजों के चयन में सिफारिश, पक्षपात, राजनीतिक दखल आदि का कोई स्थान न रहे और वह और पारदर्शी हो सके यह प्रयास हो जिससे कि हमारे पंच वास्तव में परमेश्वर बन सकें।

—अतिथि सम्पादक, कैलाश विहारी वाजपेयी, (स्वतंत्र चिंतक व लेखक)

	
राशिफल	
	
गुरुवार 24 नवम्बर, 2022	
मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् २०7९, अनुराधा नक्षत्र सांय 7:३7 तक, अतिगंड योग दिन 12:1९ तक, किस्त्रुघ्न करण दिन ३:०2 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।	
पंडित अनिल शर्मा	ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरु-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।
आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 7:३7 तक है। आज शुक्र उदय रात्रि 1२:15 पर होगा। आज रुद्रव्रत (पीडिया व्रत), भगवान पुष्प दत्त जन्म और तप कल्याणक दिवस (जैन) है और धैरव धृष्टांत उत्सव आरम्भ होगा।	
सर्वश्रेष्ठ चौघण्टिया: शुभ सूर्योदय से 8:1६ तक, चर 1०:5४ से 12:1३ तक, लाभ-अमृत 1२:1३ से 2:51 तक, शुभ 4:1० से सूर्यास्त तक।	
राहूकाल: 1:३0 से ३:00 तक। सूर्योदय 6:57, सूर्यास्त 5:३०	

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकेवं विचारक भाई दुर्गादास जी द्वारा लिखित पुस्तक "अपने घुमन्तु" पढ़ ने पर भारतीय संस्कृति के पुरोधा तथा पुरुषार्थी समूह के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, मैं स्तब्ध रह गया। जन समूह भी छोटा-मोटा नहीं अपितु जिनकी संख्या करोड़ों में होते हुए भी समाज, सरकार और मीडिया की नजरों से औझल है। शिशा, स्वास्थ्य और मकान जैसी प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं से वंचित रहने के बावजूद हमारी परम्पराओं और संस्कृति का संरक्षक बन कर सभी प्रकार की विषम एवं विपरीत परिस्थितियों में भी उसे सम्भालने का उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहा है।

दूसरी ओर शैक्षणिक उन्नयन के शिखर पर बैठा समूह भारतीय संस्कृति से दूर भाग रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को गर्व के साथ गले लगा रहा है। श्रेष्ठ कला एवं कौशल का पुजारी आजादी की जंग में बलिदान देने वाला जाबाज जनजाति समूह अंग्रेजी हुकुमत का शिकार भी रहा है। कष्ट का विषय तो यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी यह देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है।

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के मोरेल बांध में आठ फीट पानी रिजर्व रखने के निर्णय के बाद पक्षी प्रेमियों एवं पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर देखी गई है। सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर जलवितरण समिति की बैठक के दौरान जिम्मेदारों के बीच यह निर्णय लिया गया। मोरेल बांध में देसी विदेशी विभिन्न पक्षियों के प्रवास के चलते पानी को रिजर्व रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी ताकि आने वाले पक्षियों से आसपास की खेत की फसल में लगे कीटो से नुकसान होने से बचाया जा सके एवं वहां पर आने वाले सेलानियों के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। बैठक सर्वाईमाधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सर्वाई माधोपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें दौसा व सर्वाई माधोपुर के किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे।दौसा जिले से कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में उपखंड

“घुमन्तु” अर्थात् जो अपने जीवन यापन तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घूमते रहते हैं। जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। जहाँ रात हो गयी, वहीं सो गये। यही इनके जीवन का यथार्थ है। यह यथार्थ बहुत कष्टदायक और चुनौतिपूर्ण है। जेल में सजा काट रहा कैदी भी इनसे कहीं अच्छा जीवन जी रहा है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान इनकी अनवरत गति को कोई रोक नहीं पाये। श्रीकृष्ण के ”कर्म करते रहो” के संदेश को घुमन्तु ने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा है। घूमते-फिरते व्यवसाय करना, विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन से समाज का मनोरंजन करना, पशुपालन के साथ पशु व्यापार, परिवहन का कार्य करना, कारीगरी के माध्यम से घरेलू व कृषि उपकरणों के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्र बनाना, राजा-महाराजाओं की सैन्य गतिविधियों में भाग लेना इनके मुख्य कार्य थे। घुमन्तु समाज एवं शेष समाज के आपसी संबंध मजबूत थे, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर थे।

आजादी के लिए 1८57 की क्रांति में घुमन्तु समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेजों ने

प्रतिशोध में 1८71 में ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ लागू किया, जिसके आधार पर लगभग 2०0 जनजातियों में जन्म लेने वाले नवजात के माथे पर ‘चोर’ शब्द खुदवाया जाता था। पिता थाने में जाकर अपने बेटे का नाम अपराधियों की सूची में लिखवाने के लिए मजबूर था। ऐसे पिता के दर्द को हम समझ सकते हैं। सौभाग्य से 81 वर्ष पश्चात् 1९52 में यह काला कानून समाप्त किया गया।

भारतीय इतिहासकारों ने घुमन्तु जनजाति समूहों द्वारा ब्रिटिश हुकुमत के

वर्ष भर पक्षियों के कलरव से आबाद रहेगा मोरेल बांध

मौजूद रहे। डॉ सुभाष पहाड़िया ने कलेक्टर



मोरेल बांध में पर्याप्त जलभराव होने के चलते हजारों मील यात्रा तय कर आए राजहंस ग्रेटर फ्लैमिंगो कलरव करते हुए।

अधिकारी रामगढ़ पंचवारा तथा उपवन संरक्षक सभागार में मोरेल बांध की जैव विविधता और

141वीं जयन्ती पर विशेष

किसान-मजदूर के दीनबंधु-चौधरी छोटूराम

चौधरी छोटूराम अदभुत व्यक्तित्व के धनी थे। किसान वर्ग द्वारा उन्हें कृषकों का मसीहा, रहबरे आजम तथा श्रमिक व दलित वर्ग ने दीनबंधु की उपाधियों से सम्मानित किया था। उनके लिए जाति या धर्म विशेष का कोई अन्तर नहीं था, जिसकी जीविका का मुख्य आधार कृषि है, वही किसान है। चौधरी छोटूराम वास्तव में महान् कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त पंजाब, यूपी व राजस्थान (उत्तरी भारत) के किसान श्रमिकों तथा दलित शोषित वर्ग के हित में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से भूमि व ऋण उन्मोचन तथा लगान एवं अनेकों लागू-बाग करों से कानून बनवाकर, मुक्ति दिलायी। उनके सहयोग एवं सुधारों से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1९37 में नाइट या सर की उपाधि से अलंकृत किया था।

छोटूराम का जन्म 24 नवम्बर, 1८81 को माता हरकी देवी व पिता सुखीराम, ग्राम सांपला, तहसील झज्जर (रोहतक) वर्तमान हरियाणा में हुआ था। पिता कर्ज एवं मुकदमों में फँसे होने से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा झज्जर में तथा आगे की पढ़ाई क्रिश्चन मिशन स्कूल में हुयी और सन् 1९०5 में सेन्ट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक किया था। उनका जन्म का नाम राम रिछपाल था। किन्तु परिवार में सबसे छोटे होने से उन्हें प्यार से छोटूराम बोला जाता था। स्कूल में दाखिले के वक्त भी यही नाम लिखा दिया गया। आगे छोटूराम के नाम से पंजाब-हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में किसान हमरा वर्ग के हितैषी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1९०7 में आगरा (यू.पी.) से कानून की पढाई कर डिग्री हासिल की।

विधि की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने, काला-कांकर के राजा रामपालसिंह के यहाँ निजी सचिव के रूप में कार्य किया और साथ-साथ यहीं से 1९०7 में अंग्रेजी अखबार ‘हिंदुस्तान’ का सम्पादन भी किया था। तदुपरांत 1९12 में अपने मित्र चौधरी



यादराम सिंह यादव

लालचन्द के साथ आगरा में वकालत शुरू की एवं इसी वर्ष जाट महासभा का गठन किया। उसके बाद सन् 1९1६ में उन्होंने ‘जाट गजट’ नामक साप्ताहिक अखबार हिंदी में रोहतक से प्रारम्भ किया। वह अखबार में मजदूर-किसानों की समस्याओं को उठाते थे। अंग्रेजी सरकार तथा जमींदारों साहूकारों व सूदखोरों की गलत नीतियों के द्वारा शोषण दमन के विरुद्ध तीखे कटाक्ष भरे लेख लिखते थे।

‘जाट गजट’ हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो 1०6 वर्ष बाद आज भी प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र को अंग्रेजी दौर में साप्ताहिक रूप से प्रकाशन के समय पन्द्रह सौ प्रतियाँ छपना शुरू हुयी थी। इसका उद्देश्य तो विशेषकर जाट जाति के उत्थान के लिए था किन्तु बाद में वह जमींदार पार्टी का कट्टर समर्थक बन गया। छोटूराम ने किसानों की जमीन गिरवी रखने, उन्हें बंधुआ मजदूरी कराने के लिए साहूकारों द्वारा उड़ीपीडन करने के खिलाफ आवाज उठायी। अपने पत्र में वह भ्रष्ट सरकार की अफसरों, सूदखार, महाजनों के शोषण के विरुद्ध लेख लिखते थे। उन्होंने कोर्ट में भी इन शोषकों के विरुद्ध अनेक मुकदमें लड़े व जीते थे। सर छोटूराम ने अंग्रेजों से ही मोरों के शिकार पर भी पाबन्दी लगवा दी थी। इनके प्रमुख लेखों के शीर्षक ‘मोर बचाओ’, ‘ठगी के



बाजार की सैर’, ‘पाकिस्तान, जाट नौजवानों की जिंदगी के लिए नुखे’ आदि थे। सर छोटूराम अपने लेखों से साहूकार ही नहीं अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध भी आम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे।

छोटूराम गांधीजी के असहयोग आन्दोलन 1९2० से सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि इससे गरीब किसानों व श्रमिकों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वह स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अलग हो गये। परन्तु मत भेदों के बावजूद वह गांधीजी के प्रशंसक भी थे।

सर छोटूराम ने किसानों के हित में दो बड़े महत्वपूर्ण कानून अंगेजों से पास कराये थे। ‘411’ दी पंजाब रिलीफ इन्डेब्टेनैस एक्ट, 1९३4; ‘421’ दी पंजाब डेब्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1९३६, इससे पूर्व पंजाब लैंड रैबन्यू एमैन्डमेन्ट एक्ट 1९2९ भी पास कराया था। इन कानूनों के लागू होते ही किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली थी। इन कानूनों के तहत किसानों की कर्जांमुक्ति एवं जमींदारों-साहूकारों व सूदखोरों से गिरवी रखे जमीनें किसानों को वापस मिली एवं वे जमीनों के मालिक बन गये। इसके तहत किसानों द्वारा जमींदारों-साहूकारों से लिया गया ऋण नकद या जमीन गिरवी रखने पर ऋण को दो गुनी रकम चुकाने पर ऋण को दो गुनी रकम चुकाने पर ऋण एवं भूमि पुक्ती का प्रावधान किया गया था। इससे हजारों किसानों, जमींदारों,

खिलाफ स्वतंत्रता आन्दोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज किया। इतिहास में इनके बलिदान को पर्याप्त एवं प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया। उमा जी नाइक, भीमा जी नाइक, लक्ष्मीशाह बंजारा, गोविन्द गुरू, संत सेवालाल जी महाराज, अमरा भगत आदि घुमन्तु समाज के प्रमुख महानायक रहे हैं, जिन्होने सामाजिक कुरूपतियों को समाप्त करने के साथ-साथ आजादी के आन्दोलन के गौरवशाली सितारों भी थे।

देश में ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से जैसे-जैसे विकास का रथ आगे बढ़ त गया ये जनजातियों अपने पारम्परिक व्यवसाय से हाथ धोती गयी। यातायात के आधुनिकीकरण की वजह से बंजारों का व्यवसाय कमजोर हो गया। तकनीकी विकास ने गाँडिया लोहारों को बेरोजगार कर दिया। प्लास्टिक के खिलौनों ने कुचबन्दा स्मुदाय के मिट्टी के खिलौनों को बाजार से बाहर कर दिया। कम्प्यूटर ने समुदाय की पोंधियों को छीन लिया। टी.वी., मोबाइल, इन्टरनेट के युग में मनोरंजन के लिए बहुरूपियें, बाजीगर, नट या कालबेलियों की कला के लिए लोगों के पास समय नहीं है। धीरे-धीरे इन लोगों

का व्यवसायिक प्रासंगिकता शहर से कस्बों, कस्बों से गांवों, गांवों से दुर्गम स्थानों तक सिमटकर आया लगभग समाप्त ही हो चुकी है। विकास की आधुनिक दौड़ में घुमन्तु लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।

राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कर्मयोगी घुमन्तु को गरीबी से मुक्त करने के लिए रोजगार से जोड़ना होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घुमन्तु के घर तक पहुँचाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज बनाने होंगे। प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुँचाना होगा। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करनी होगी।

ब्रिटिश राज से पहले घुमन्तु जनजातियों का जीवन सम्पन्न और सम्मान जनक हुआ करता था। हमें वही सम्पन्नता और सम्मान लौटाना होगा। माननीया प्रोपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना घुमन्तु समुदाय की दशा एवं दिशा बदलने के क्रम में एक अच्छी खबर है।

—**डॉ. कैलाश सोडाणी, कुलपति-बर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**

प्रवासी पक्षियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया तथा बांध में ८ फिट पानी रिजर्व रखने की मांग रखी। जिसे आम सहमति से स्वीकार कर कलेक्टर द्वारा नहर खोलने के आदेश दिए। राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभाष पहाड़िया पिछले चार सालों से मोरेल बांध के संरक्षण के लिए प्रयासरत थे। हाल ही में डॉ पहाड़िया द्वारा संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर भी बांध के जल को आठ फिट रिजर्व रखने की मांग की गई थी। डॉ सुभाष पहाड़िया ने बताया की मोरेल बांध में आठ फिट पानी रिजर्व रखने से पक्षी प्रेमी बहुत खुश है। अब यहाँ प्रवासी पक्षी स्वच्छंद विचरण कर पाएंगे। बांध में पानी रहने से पक्षियों के लिए हैबिटाट विकसीत होगा।कई पक्षी प्रजातियां यहाँ प्रवास करनेगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। ग्रीष्म ऋतु में जीव जंतुओं के लिए पीने के पानी का संकट नहीं होगा। स्थानीय भू जल स्तर में वृद्धि होगी।

2८ मार्च, 1९44 को जिन्ना ने पंजाब प्रांत के प्रधानमंत्री खिजर हयात खां पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बनाया किन्तु चौधरी छोटूराम के निर्देश पर प्रधानमंत्री हयात खां के द्वारा जिन्ना को 24 घंटे में पंजाब छोड़कर निकल जाने का आदेश कराया। जिन्ना को आदेश की पालना में पंजाब से बाहर निकलना पड़ा। अहंकार को मुर्ति जिन्ना का ऐसा अपमान व प्रतिष्ठा मिट्टी का पेंसल गयी थी। क्योंकि पंजाब में हिन्दू-मुस्लिम बड़े प्रेम एवं एकता से मिल-जुलकर रह रहे थे। सन् 1९24 से 1९45 ‘422 वह’ तक पंजाब की राजनीति में अकेले सूर्य, चौधरी छोटूराम का ९ जनवरी, 1९45 को 63 वर्ष 6 माह की आयु में निधन हो गया। वह आजीवन किसानों एवं कमेरा वर्ग के हित में कार्य करते रहे। वह एक सफल वकील/पत्रकार, प्रखर वक्ता एवं राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी थे। उनके स्तर का जमीनी नेता तत्कालीन समय में कोई नहीं था। वह वास्तव में किसानों, गरीब कमेरा वर्ग, दलितों के मसीहा थे। भारत सरकार के डाकतार विभागे ने उनकी स्मृति में सन् 1९९5 में एक डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके ग्राम सांपला में 64 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व, बहुजनहितैशी महापुरुष विरले ही पैदा होते हैं। आओ जो उनकी जयन्ती पर सादर श्रद्धा स्म मन अर्पित करते हैं।

—यादराम सिंह यादव, वरिष्ठ लेखकेवं स्वतंत्र पत्रकार